मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

हरियाणा पंजाबी अकादमी के सौजन्य से एक शाम पंजाबियत के नाम	3
असाधारण व्यक्तित्व वाले आम लोगों को भी सम्मान	4
गंभीर आरोपों से घिरे वानखेड़े पर पूरा सिस्टम क्यों मेहरबान है?	5
भाजपा राज में किसानों से ज्यादा आत्महत्या कारोबारियों ने की	6
डॉ. एके पांडे के नाम दर्ज हुआ कीटाणु रोधी पेटेंट	8

वर्ष 36 | अंक 01 | फरीदाबाद | 14-20 नवम्बर 2021 | फोन-8851091460 | ₹ 3.00

अस्पतालों में 50% स्टाफ़ की कमी का हश्र नहीं जानना चाहते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा के 22 ज़िलों से 22 लोग़ों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 'चिकित्सा के अधिकार' कानून को लागू कराने के लिये एक याचिका दायर की थी। प्राथमिक सुनवाई करने पर सिंगल बेंच ने इसे पीआईएल (जनहित याचिका) मानते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा की ओर भेज दिया।

याचिका में कहा गया था कि सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। अनेक स्वास्थ्य केन्द्र तो ऐसे हैं जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। इनमें सबसे अधिक दुर्दशा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के क्षेत्र उचाना की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रदीप रापड़िया ने गुहार लगाई कि जब सरकारी अस्पतालों में आवश्यक स्टाफ़ ही नहीं है तो नागरिकों को दिये गये चिकित्सा के अधिकार का क्या मतलब है? इस सम्बंध में हरियाणा सरकार से जवाब-तलब किया जाना चाहिये कि जब उसने आवश्यक स्टाफ़ ही अपने अस्पतालों में नियुक्त नहीं कर रखा तो नागरिकों को चिकित्सा कैसे उपलब्ध होगी? नागरिकों के इस अधिकार के हनन के लिये राज्य सरकार उचित कार्रवाई करे।

मामला जब तक मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में पहुंचा तो हरियाणा सरकार ने अपना जवाब तैयार कर लिया था। इसमें कहा गया है कि वह शीघ्र ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देगी।

मुख्य न्यायाधीश को तो मानो इसी का इन्तजार था; बस इसी आधार पर याचिका को समाप्त कर दिया गया। यानी कि याचिकाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान उन्होंने कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने यह जानने तक का प्रयास नहीं किया कि खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां कितने दिनों, कितने महीनों अथवा कितने वर्षों में हो पायेंगी? जैसा आश्वासन देकर हरियाणा सरकार ने याचिकाकर्ताओं से अपना पिंड छुड़वा लिया है, इस तरह के आश्वासन

अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया

तथा वायदे ये राजनेता आये दिन अपनी जनसभाओं में करते रहते हैं।

इससे भी बड़ी बात आदेश में मुख्य न्यायाधीश ने यह फ़रमाई कि याचिका में यह नहीं बताया गया है कि अस्पतालों में स्टाफ़ की कमी होने से कहां, किसका, कितना नुकसान हुआ है। क्या न्यायाधीश

याचिकाकर्ता मोनिका सांगवान

महोदय यह नहीं जानते कि जब अस्पताल नहीं होंगे या अस्पतालों में स्टाफ़ व दवाईयां आदि नहीं होंगे तो किसको क्या नुकसान होता है? क्या न्यायाधीश महोदय यह जानना चाहते हैं कि चिकित्सा सेवाओं में इतनी भयंकर कमी से कितने लोग वक्त से पहले बेमौत मारे गये। इस सुविधा के अभाव में नागरिकों ने क्या-क्या भुगता? मान लो यदि कोई इस तरह के आंकड़े किसी तरह जुटा भी लाये तो क्या न्यायाधीश महोदय उनके लिये उचित मुआवजा दिला पायेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, केवल एक बहस की शुरूआत हो जायेगी कि आंकड़े झूठे हैं या सच्चे हैं। उसके बाद अंत फ़िर 'आश्वासन' से ही कर दिया जायेगा।

वकील रापड़िया से फ़ोन पर 'मजदूर मोर्चा' ने बात की तो उन्होंने बताया कि खर्चा तो जरूर लगेगा लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती जरूर दी जायेगी। इस बात-चीत के दौरान 'मज़दूर मोर्चा' ने ईएसआईसी चिकित्सा सेवाओं की ओर भी ध्यान दिलाया जिन पर 88 प्रतिशत खर्च कार्पोरेशन करती है। उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने इस सेवा का भी पूरी तरह से सत्यानाश कर रखा है। वकील साहब ने अपील में इस ओर भी ध्यान देने का आश्वासन दिया।

कम्पलीशन प्रमाणपत्र का बिचौलिया है औरेंज भारद्वाज

फ़रीदाबाद (म.मो.) 31 अक्टूबर-6 नवम्बर को प्रकाशित हुए मजदूर मोर्चा के अंक में कंपलीशन प्रमाणपत्र के नाम पर वसूली से सम्बन्धित एसडीओ सुमेर सिंह ने 'मज़दूर मोर्चा' को बताया कि उन्होंने उस केस में सुमित तनेजा से कोई रकम नहीं मांगी ओर न ही उनका कम्पलीशन से कोई ताल्लुक है। उस मामले में सुमित सम्बन्धित ब्रांच के क्लर्क को जब बुरी तरह से धमका रहा था तो उन्होंने उसे सख्ती से टोकते हुए कर्मचारी को इस तरह धमकाने से रोका था।

जहां तक सवाल है मकान के कम्पलीशन का तो वह मकान सुमित का न होकर रश्मि खुराना और कपिल खुराना का है जो अचीवर्स सोसायटी में स्थित है। इसका नम्बर 4415 है। इस सम्बन्ध में सुमित द्वारा दायर किये गये दस्तावेज़ आधे-अधूरे पाये गये थे। नियमानुसार इसके लिये आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाना जरूरी होता है। जो इस केस में नहीं था। इसके अलावा मौका मुआयना करने पर मकान का निर्माण कार्य भी अधूरा पाया गया। इस बाबत बाकायदा पत्र द्वारा मकान मालिक को सूचित कर दिया गया।

सुमेर ने यह भी बताया कि सुमित व उसके साथ आई लड़की का तो पैसे लेकर कम्पलीशन कराने का धंधा है। इससे पहले भी इन्होंने चीफ़ इंजीनीयर भास्कर, जो आजकल चंडीगढ़ बैठते हैं, से फ़ोन करा कर कम्लीशन कराया था। एसडीओ सुमेर ने यह भी खुलासा किया कि नगर निगम की प्लानिंग ब्रांच में औरेंज कुमार भारद्वाज नामक एक ठेकेदारी कर्मचारी बतौर ड्राफ्ट्समैन लगा हुआ है। मात्र 15-20 हजार की कच्ची नौकरी करने वाला यह व्यक्ति बाकायदा कम्पलीशन कराने का धंधा चलाता है। इस काम के लिये उसने सेक्टर 12 की एक शानदार बिल्डिंग में

गीता नागपाल

औरेंज कुमार

फरीदाबाद नगर निगम कम्पलीशन सर्टीफिकेट देने के धंधे में लाखों-करोड़ों कमाने के लिए कुख्यात है। इसमें इंजीनियर विंग नीचे से ऊपर तक और प्रशासनिक अधिकारी अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार हिस्सा डकारते हैं। ऐसा ही एक मामला जिसमें निगम एसडीओ सुमेर भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल बताया गया था, मजदूर मोर्चा ने रिपोर्ट किया था।

कुछ वर्ष पूर्व हरियाणा सरकार ने निगम के भ्रष्ट तौर-तरीकों पर लगाम लगाने के लिए पंजीकृत आर्किटेक्ट को निर्माण मुताबिक नक्शों का प्रमाण पत्र देने के लिये अधिकृत किया था। इसके बाद निगम को सिर्फ मौका मुआयना करके कम्पलीशन सर्टीफिकेट जारी करना रह जाता था लेकिन जिस महकमे के मुंह में नागरिकों का लहू लगा हो वह रास्ता निकालने में देर क्यों करता। उपरोक्त सुमेर प्रसंग में एसडीओ सुमेर का पक्ष जानना बेहद दिलचस्प रहा। यह भी स्पष्ट हो गया कि निगम की डकैती को बिचौलियों के एक बड़े तंत्र का सहारा मिल रहा है। यह पहलू इस रिपोर्ट से पूरी तरह उजागर हो जायेगा।

आलीशान दफ्तर 'आर्क ड्रीम इन्डिया' के नाम से खोल रखा है। दफ्तर में नियमित रूप से बैठने के लिये गीता नागपाल नामक एक सिविल इंजीनियर को रखा हुआ है।

इस दफ्तर में कम्पलीशन संबंधी दस्तावेज़ तैयार करके सुमित जैसे लोगों को देकर नगर निगम भेज दिया जाता है। औरेंज कुमार इतना बड़ा दफ्तर अपने वेतन के बल पर तो चलाने से रहा, जाहिर है कि इसके लिये उसे मोटी रकम देने वाले ग्राहकों की जरूरत होती है। ऐसे ग्राहकों को पकड़ने के लिये वह नगर निगम में अपनी तैनाती व रसूख का पूरा इस्तेमाल करता है। विदित है कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने आर्किटेक्टों को नक्शा बनाने के साथ-साथ नक्शा पास करने का अधिकार भी दे रखा है। इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए औरेंज कुमार अपना धंधा चला रहा है। सावधानी केवल इतनी ही बरतनी होती है कि सम्बन्धित दस्तावेज़ों पर वह कहीं भी अपने हस्ताक्षर न करके गीता नागपाल या किसी आर्किटेक्ट से करवा लेता है। 'मज़दूर मोर्चा' ने इस बावत असल मकान मालिक कपिल खुराना से फ़ोन पर बातचीत करनी चाही तो उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने कम्लीशन का काम गीता नागपाल को सौंप रखा है। पैसे के लेन-देन बाबत वे चुप्पी साध गये। लेकिन नगर निगम के एक कर्मचारी से उन्होंने यह कहा कि पड़ोसी मकान मालिक ने तीन लाख देकर कम्पलीशन कराया था। जिसे देखते हुए उसका कम्पलीशन तो ये लोग मात्र दो लाख में ही करा रहे हैं।

यद्यपि एसडीओ सुमेर सिंह का कहना है कि यदि मकान का निर्माण सही ढंग से नियमानुसार किया गया हो तो कम्पलीशन के लिये कोई रिश्वत नहीं ली जाती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कम्पलीशन देना अकेले एसडीओ के हाथ में न होकर बाकायदा एक पांच सदस्यीय कमेटी के हाथ में होता है। जिसके प्रधान ज्वाईंट कमिश्नर होते हैं। बेशक सुमेर सिंह फ्री कम्पलीशन देने का दावा करते हैं और चाहते हैं कि मकान मालिक सीधे नगर निगम आकर अपना काम करायें। परन्तु यह बात हजम नहीं होती, यदि बात इतनी ही सीधी होती तो जनता औरेंज कुमार जैसे बिचौलिये के शिकंजे में क्यों फंसती? बेशक इस मामले में सुमेर सिंह का कोई लेना-देना न रहा हो लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि नगर निगम वाले इतने भले हों कि बगैर कुछ लिये-दिये कम्पलीशन तो क्या छोटे से छोटा काम भी कर दें।

औरेंज कुमार की हरकतों से वाकिफ़ होने के बाद एवं उनके खिलाफ़ आने वाली अनेक शिकायतों को देखते हुए करीब पांच-छः साल पहले एक निगमायुक्त ने इन्हें सेवा मुक्त भी कर दिया था लेकिन ये साहब हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले आये और अपनी सीट पर बैठ कर अपना धंधा जमाये हुए हैं।